(4)

कार्यालय- विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, हमीरपुर

पत्रांक:एस0एस0ए0/आ0 ब्रिजकोर्स/2967-77 /2008-09 दिनांक 22 दिसम्बर, 2008

सेवा में,

....अध्यक्ष/सचिव

....जनकल्याण पी/पु0 उ0प्र0 किदवईनगर

..........कानपुर.

विषय: वैकल्पिक शिक्षा योजनान्तर्गत 09 माह के आवासीय ब्रिजकोर्स संचालन के संबंध में ।

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप को अवगत कराना है कि निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक:सा0एवंवै0शि0/29285-587/2008-09 दिनांक 25 अगस्त, 2008 के अनुपालन में जनपद में संचालित होने वाले आवासीय ब्रिज कोर्स हेतु आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, हमीरपुर को स्वीकृतोपरान्त निम्न लिखित विकास खण्ड में बालक/बालिका हेतु आवासीय ब्रिजकोर्स संचालन की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

विकास खण्ड का नाम सरीला बालक/~~बालिका~~ हेतु । सरीला बालक हेतु

अतः आप को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त विकास खण्ड में 11-14 वय वर्ग के बच्चों को उपलब्ध सूची के अनुसार पंजीकृत करा कर आवासीय ब्रिजकोर्स का संचालन सुनिश्चित करें । जिनकी शर्तें निम्नवत् हैं:-

(1) सर्व शिक्षा अभियान की मार्गदर्शिका के परिसिष्ट के अनुसार रू0 100/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र ।

(2) नियम और शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर अध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर सहित परिसिष्ट 09 पर ।

(3) अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कराने के प्राधिकार के प्रस्ताव की प्रतिलिपि अध्यक्ष/प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित परिसिष्ट 03 पर ।

(4) अनुबन्ध पत्र के साथ निम्न लिखित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

(क) कार्य योजना एवं एक्शन प्लान एवं समय सारिणी ।

(ख) कार्य योजना को क्रियान्वयन करने की रणनीति ।

(ग) विद्यालय शिक्षा एवं वंचित अभिभावकों के सहमत पत्र ।

(घ) कार्य करने वाले अनुदेशकों एवं कर्मचारियों के नाम, पिता का नाम, शैक्षिक योग्यता सहित सूची ।

(5) केन्द्र संचालन हेतु धनराशि नियमानुसार तीन किश्तों में दी जायेगी ।

(6) आवासीय ब्रिज कोर्स शिविर के बच्चों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का सम्पूर्ण उत्तर दायित्व संस्था का होगा ।

(7) आवासीय ब्रिजकोर्स संचालन हेतु केन्द्र का पता, भवन का मानचित्र सहित भवन स्वामी के सहमति पत्र के साथ प्रतिलिपि उपलब्ध करायें ।

(8) भवन में 60 बच्चों को कक्षा-कक्ष, बेडरूम, शौचालय, रसोई, बिजली पानी व प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था हो ।

(9) केन्द्र पर 11-14 वयवर्ग के शिक्षा से वंचित बच्चे ही नामांकित होंगे जिसकी सूची अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्र के साथ संलग्न करते हुये उपलब्ध करायी जा रही है ।

(क्रमशः. पृ...2..पर)

(10) बालिकाओं हेतु आवासीय ब्रिजकोर्स में अनुदेशक, केयर टेकर, रसोयिया महिला होना अनिवार्य है एवं चौकीदार की व्यवस्था संस्था को स्वयं करनी होगी ।

(11) केन्द्र पर पंजीकृत बच्चों में से निरीक्षण के समय उपस्थित कम पायी जाने पर उसी अनुपात में धनराशि की कटौती की जायेगी ।

(12) बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करने हेतु एक चिकित्सक की व्यवस्था संस्था को करनी होगी ।

(13) चाय, नास्ता, लेन्च एवं डिनर की व्यवस्था समय से एवं मीनू के अनुसार पौष्टिक एवं साफ-सुथरा उपलब्ध कराया जाय ।

(14) बच्चों को सम्पूर्ण पठन सामग्री मार्ग निर्देशिका के अनुसार उपलब्ध करायी जाय ।

(15) बच्चों की व्यक्तिगत प्रगति आख्या मासिक उपलब्ध करानी होगी ।

(16) 08 माह के आवासीय ब्रिजकोर्स संचालन के पश्चात सभी बच्चों को 09 माह में विद्यालय में पंजीकृत कराकर अध्ययन कराया जायेगा । जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्था की होगी ।

(एम0के0अहिरवार)
विशेष बेसिक शिक्षा अधिकारी
हमीरपुर ।

पृ0सं0:एस0एस0ए0/आ0ब्रिजकोर्स संचा0/2967-77 /08-09 दिनांक तद् ।

प्रतिलिपि: निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना, परिषद विद्याभवन निशातगंज, लखनऊ ।

(2) निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, उ0प्र0, नवी उल्लाह रोड, लखनऊ ।

(3) जिलाधिकारी, हमीरपुर ।

(4) मुख्य विकास अधिकारी, हमीरपुर ।

(5) प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सुमेरपुर ।

(6) मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) झाँसी ।

(7) सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, हमीरपुर ।

(8) उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, हमीरपुर ।

(9) संबंधित विकास खण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद- हमीरपुर ।

(10) संबंधित विकास खण्ड के बी0आर0सी0 समन्वयक, जनपद- हमीरपुर ।

22-12-08

(एम0के0अहिरवार)
विशेष बेसिक शिक्षा अधिकारी
हमीरपुर ।